email_id : dcourtkhd-mp@nic.in Phone No. : 0733-2921001

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड, खण्डवा (म0प्र0)

–:: विविध आदेश ::–

क्रमांकः 51 /को.वा./2020 खण्डवा, दिनांक 22 अप्रैल, 2021

विषय :– दिनांक 22.04.2021 से अन्य आदेश तक न्यायालयों में होने वाली सुनवाई बाबत्।

संदर्भ :– म0प्र0 शासन, गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/35.09/2020/2/सी–2 भोपाल, दिनांक 12.04.2021 एवं दिनांक 20.04.2021 तथा जिला दंडाधिकारी, खण्डवा द्वारा विविध आप0प्र0क0–56/2021 खण्डवा, दिनांक 20.04.2021।

.....000.....

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र.,जबलपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिये जारी मानक सुनवाई प्रक्रिया संबंधी परिपत्र क्रमांक ए/113 जबलपुर, दिनांक 15 जनवरी, 2021 एवं परिपत्र क्र. ए/1095 दिनांक–26.03.2021, एडिशनल एस.ओ.पी. क्र. ए/1149 दिनांक–03.04.2021, एडिशनल एस.ओ.पी. दिनांक–20.04.2021 के पालन में तथा उपरोक्त संदर्भित आदेश के प्रकाश में मैं, एल0डी0 बौरासी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड़, खण्डवा आज दिनांक 22.04.2021 को तत्काल प्रभाव से दिनांक 30.04.2021 तक के लिए जिला न्यायालय पूर्व निमाड़ खण्डवा एवं सिविल न्यायालय तहसील हरसूद, पुनासा, उप–तहसील मांधाता (ओंकारेश्वर) जिला खण्डवा में सभी न्यायाधीशगण, अभिभाषकगण, पक्षकारगण, न्यायिक कर्मचारीगण, पुलिस विभाग से अनिवार्यतः पालन की अपेक्षा करते हुए पूर्णतया वी0सी0 के माध्यम से सुनवाई हेतु निम्नानुसार निर्देश–आदेश जारी करता हूं कि :–

(1) प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश उनके समक्ष पूर्व से नियत **(दिनांक 30.04.2021 तक के)** सभी मामलो में उनकी सुविधानुसार पेशी तारीख नियत कर सी.आई.एस. में अपडेट करें, उसकी सूचना भी पक्षकार और उनके विद्वान अभिभाषक के ज्ञात मोबाइल नंबर पर **एसएमएस** के माध्यम से दी जावें। विचाराधीन बंदियों के मामलों की सूची तैयार कर संबंधित बंदीगृह को ईमेल कर दिया जायें।

(2) न्यायालय परिसर में वे ही अभिभाषकगण उपस्थित हो सकेंगे, जिन्हें कि न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश का निष्पादन करना है अर्थात् जमानत आवेदनपत्र, तत्काल एवं अत्यावश्यक सुनवाई योग्य वाद, आवेदनपत्र पेश करने के लिए उन्हें न्यायालय में प्रवेश किये जाने की आवश्यकता नहीं है, उनके द्वारा पूर्णतया ऑफिशियल ईमेल पर ही ऐसे आवेदन दिये जा सकेंगे।

<u>नोट–1 :–</u> न्यायालय परिसर में स्टाम्प वेण्डर, दस्तावेज लेखकों, पीटिशन राईटर्स के प्रवेश पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। नोटरी, शपथ आयुक्त भी न्यायालय परिसर में अपने कार्य का निष्पादन नहीं करेंगे। (यदि नोटरी या शपथ आयुक्त को ऐसे कार्य की अनिवार्यता हो तो वे न्यायालय परिसर के गेट नम्बर–1 से लगकर बने हुए नोटरी शेड के नीचे ही अपने इस कार्य का निष्पादन पूर्व से निर्धारित सीमित समयावधि में कर सकेंगे, कोई पक्षकार न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।)

<u>नोट–2 :–</u> न्यायालयों में जमानतनामा, व्यक्तिगत बंधपत्र हेतु उपस्थित होने वाले पक्षकार/जमानतदार के अतिरिक्त किसी पक्षकार या उसके

रिश्तेदार, मित्र का प्रवेश भी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन की दशा में यह माना जावेगा कि उसके द्वारा कोरोना कर्फ्यू में शासन द्वारा लगाये गये प्रतिबंध को जान–बूझकर तोड़ा गया है।

(3) इस विविध आदेश की **कंडिका–01** (उपरोक्त) के अनुसार कार्य आज दिनांक 22.04.2021 को ही पूर्ण कर लिया जावे। तत्काल एवं अत्यावश्यक कार्य के निष्पादन हेतु जिला मुख्यालय, खण्डवा पर कार्य व्यवस्था निम्नानुसार की जाती है :–

(अ) दिनांक 24, 26, 28 और 30 अप्रेल 2021 हेतु– (1) श्री लक्ष्मण प्रसाद वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (2) श्रीमती नमिता द्विवेदी, (3) श्री राहुल सोनी, (4) सुश्री आयुषी गुप्ता; ये सभी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा।

(ब) दिनांक 23, 27, 29 अप्रेल 2021 और 01 मई 2021 हेतु– (1) श्री विपेन्द्र कुमार यादव, (2) श्रीमती सपना पटवा, (3) सुश्री सौम्या साहू; ये सभी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट खंडवा।

नोट–न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी (1) श्री मनीष रघुवंशी, (2) सुश्री सृष्टि चौरसिया, (3) सुश्री श्वेता चौहान उक्त दिनांक 23, 27, 29 अप्रेल और 01 मई 2021 में अपने वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहायता हेतु उनके साथ क्रमशः उपलब्ध रहेंगे।

(स) सिविल न्यायालय हरसूद में–दिनांक 22, 23, 24 अप्रैल, 2021 के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सीता कनोजे के द्वारा निष्पादित किया जावेगा। तत्पश्चात् दिनांक 25 अप्रैल, 2021 से दिनांक 02 मई, 2021 तक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती अन्नपूर्णा भदौरिया के द्वारा निष्पादित किया जावेगा।

(द) सिविल न्यायालय पुनासा एवं श्रृंखला न्यायालय मांधाता में– तत्काल एवं अत्यावश्यक कार्य का निष्पादन श्रृंखला न्यायालय मांधाता के कार्य के दौरान मांधाता में और तत्पश्चात् पुनासा में निष्पादित किया जावेगा।

(4) मालखाना अनुभाग यथावत कार्यरत् रहेगा। जबकि प्रतिलिपि, नजारत अनुभाग और अभिलेखागार में कार्यरत् कर्मचारीगण 50 प्रतिशत प्रातः 10:00 बजे से 02:00 बजे तक और शेष 50 प्रतिशत दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक अपने कार्य का निष्पादन करेंगे।

(5) प्रथम रिमांड कार्यवाही को छोड़कर अभियुक्त का प्रत्येक आगामी रिमांड कार्यवाही वी.सी. के माध्यम से ही निष्पादित किया जावेगा।

(6) जिन न्यायालयों में विचाराधीन बंदियों के मामले धारा 313 दं0प्र0सं0 में अभियुक्त परीक्षा, अंतिम तर्क, निर्णय के लिए नियत किये गये हैं, कोई सिविल मामले अंतिम तर्क अथवा निर्णय के लिये नियत किये गये हैं, तो ऐसे न्यायालय इस प्रकार के मामलों की सुनवाई उनके प्रत्येक कार्य दिवस में 11.00 बजे से 02.00 बजे के मध्य पूर्ण कर सकेंगे, किन्तु तर्क एकमात्र वी.सी. (जैसे जित्सी, विड्योएप, गूगल मीट आदि) के माध्यम सुनें जा सकेंगे और इसी प्रकार पारित किये गये आदेश/निर्णय तत्काल सी. आई.एस. पर अपलोड किया जायें, आवश्यकतानुसार निर्णय प्रतियां कारागार को ईमेल द्वारा भेजकर अभियुक्त को उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(7) आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार के दांडिक प्रकरण (जिनमें धारा 167 दं.प्र.सं. के प्रावधान का पालन निर्धारित समयावधि में आवश्यक प्रतीत हो रहा हो, उन्हें छोड़कर), संक्षिप्त विचारण प्रकरण (समयावधि बाह्य हो रहे मामलों को छोड़कर) पेश नहीं किये जा सकेंगे।

(8) ऐसे सिविल मामले, जो समयावधि बाह्य हो रहे हों; वे ही पेश किये जा सकेंगे।

(9) ऐसी दांडिक अपील, पुनरीक्षण याचिका अथवा सिविल नियमित अपील, सिविल विविध अपील; जो कि समयावधि बाह्य हो रहे हों, वे ही ऑनलाईन पेश किये जा सकेंगे और मूल कोविड–19 का संक्रमणकाल समाप्त होते ही अथवा मेरे द्वारा मांगे जाने पर अथवा सप्ताहांत में संबंधित न्यायालय में दिये जा सकेंगे।

(10) न्यायालय परिसर में कार्यरत् परिवार न्यायालय के द्वारा अपनी सुविधानुसार, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये सभी एस.ओ.पी. में दिये गये निर्देश अनुसार कार्य किया जा सकेगा।

नोट :– उपरोक्तानुसार तात्कालिक एवं आवश्यक सभी प्रकार के सिविल एवं दांडिक मामलों में सुनवाई विभाजन पत्रक या अन्यथा प्रभार विषयक दिये गये सुसंगत आदेश के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर प्रभारी न्यायालय के द्वारा किये जावेंगे।

उक्तानुसार आदेश आज ही जारी किया जाए। प्रतियॉ संबंधित सभी को उपलब्ध कराई जाए।

सही/

(एल0डी0 बोरासी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खंडवा (म0प्र0)
खण्डवा, दिनांक 22 अप्रैल, 2021

पृष्ठां.क0 813 /को.वा./2020

<u>प्रतिलिपि</u> :–

01. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. विशेष न्यायाधीश/परिवार न्यायालय/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा/प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/षष्ठम् सिविल जज वर्ग–1, खण्डवा/हरसूद/पुनासा, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सिविल जज वर्ग–2, खण्डवा एवं समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
03. समस्त अनुभाग प्रभारी, जिला न्यायालय खंडवा/सिविल न्यायालय तहसील हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
04. कलेक्टर, जिला खण्डवा,
05. पुलिस अधीक्षक, जिला खण्डवा,
06. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, खण्डवा/हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्डवा,
08. आयुक्त, नगर पालिका निगम, खण्डवा,
09. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, खण्डवा,
10. लोक अभियोजक/शासकीय अधिवक्ता, जिला न्यायालय, खण्डवा,
11. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, खण्डवा,
12. अधीक्षक, जिला जेल, खण्डवा,
13. प्रशासनिक/उप–प्रशासनिक अधिकारी/समस्त कर्मचारीगण जिला न्यायालय खण्डवा/सिविल न्यायालय हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
14. प्रस्तुतकार, जिला न्यायालय, खण्डवा,

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खंडवा (म0प्र0)